

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रं./77/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2018

बीरगांव, दिनांक 07/09/2018

वार्षिक निविदा 2018-19 गैरमुश्किल पद्धति निविदा आमंत्रण

निकाय की जलप्रदाय शाखा हेतु निम्नानुसार कार्य हेतु पात्र फर्मों से मुहरबंद निविदाएं दो लिफाफा पद्धति में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री डॉक से आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20.09.18 अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 22.09.18 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28.09.18 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 28.09.18 सायं 4.00 बजे।

कार्य समूह क्रं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाख रु.
1	नलकूप में गिरे फंसे पम्प/पाईप/रॉड निकालने तथा नलकूप सफाई कार्य (लेबर वर्क)	5.00

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से तथा साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

पृ. क्रं./78/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2018
प्रतिलिपि :-

बीरगांव, दिनांक 07/09/2018

01. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सूचनार्थ।
02. एम.आई.सी. सदस्य (जलप्रदाय शाखा) नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सूचनार्थ।
03. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
04. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.) के वेब साईट www.nagarnigambirgaon.com में अपलोड हेतु तथा नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
05. डॉटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

नगर पालिक निगम बीरगांव



कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)

// निविदा की शर्तें //

नलकूप में गिरे फंसे पम्प/पाईप/रॉड निकालने तथा नलकूप सफाई कार्य (लेबर वर्क)
वार्षिक निविदा (2018-19)

01. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
02. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
03. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :-
 - (1) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड (2) पैन कार्ड (3) जी.एस.टी. पंजीयन (4) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रु. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (मूल शपथ पत्र)

इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।

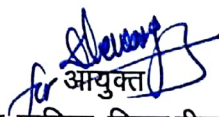
04. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
05. अमानत राशि :- अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाख रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य	अमानत राशि	
				राशि रु.	FDR/DD
1	नलकूप में गिरे फंसे पम्प/पाईप/रॉड निकालने तथा नलकूप सफाई कार्य (लेबर वर्क)	5.00	750.00	5000.00	FDR

06. लाख चापड़ा से सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
07. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
08. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर.संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
09. दरें समस्त कर सहित तथा कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
10. उपयोग किया गया सामग्री उच्च क्वालिटी का होना अनिवार्य है।
11. अति आवश्यक सेवा से संबंधित कार्य, कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस अथवा तत्काल पूर्ण करनी होगी।
12. आमंत्रित दर/अनुबंध की अवधि सामान्यतः कार्यदेश तिथि से 12 माह के लिए होगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्य कुशलता ठीक पाये जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति पर कार्यावधि में वृद्धि की जा सकती है अथवा अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्यावधि के पूर्व नया टेण्डर किया जा सकता है।

(Signature)

13. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र कय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
14. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए", "बी" व "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्रं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
16. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
17. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
18. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
20. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)